[2018] 3 एस. सी. आर 806

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई

(2016 की आपराधिक अपील संख्या 579)

अप्रैल 18,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007: एसएस। 30 और 31-न्यायालय

सैन्य कार्यवाही-प्रत्यर्थी द्वारा नौसेना के तीन अधिकारियों की पत्नियों, तीन महिलाओं को कथित रूप से की गई कथित अश्लील कॉल से संबंधित आरोप-अपराध का पता लगाना-सेवा से बर्खास्तगी के साथ-साथ 24 कैलेंडर महीनों की वरिष्ठता को जब्त करना-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) ने कुछ आरोपों पर दोषसिद्धि को बनाए रखा, हालांकि, पाया कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा आरोपों की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी-भारत का पीड़ित संघ और अधिकारी दोनों ने अपील की-आयोजितः अभियोजन पक्ष

यह साबित करने में सक्षम था कि आपत्तिजनक कॉल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोबाइल फोन प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिवादी के पास था-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम था कि यौन स्पष्ट कॉल थे तीन अधिकारियों की पत्नियों द्वारा प्राप्त-आरोप साबित हुए और ए. एफ. टी. ने भी सबूत दर्ज किए और निष्कर्ष को मंजूरी दी।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील ए. एफ. टी. द्वारा दी गई सजा की मात्रा पर सीमित है-सेवा से बर्खास्तगी की सजा को दरकिनार करने के बाद, ए. एफ. टी. ने 24 महीने के लिए वरिष्ठता खोने की सजा के साथ इसे प्रतिस्थापित किया है-इसके अलावा, सेवा में बहाली का निर्देश देते हुए, ए. एफ. टी. ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त किए जाने की तारीख से लेकर बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए भुगतान और भत्ते का अधिकार नहीं होगा, अगर यह ए. एफ. टी. के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर है -

प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल नहीं किया गया है क्योंकि इस अदालत ने उक्त आदेश/निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी थी-इन सभी कारणों से, न्यायाधिकरण के आदेश में सजा पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जिसका प्रभाव यह है कि न केवल प्रत्यर्थी की वरिष्ठता

24 महीने के लिए जब्त, वह भी पांच साल से अधिक के लिए अपने वेतन से वंचित है

ऐसी सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी और इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाएगा

इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया-नौसेना अधिनियम, 1957 - धारा. 77 (2)-सेवा कानून-सशस्त्र बलों की सजा।

2. यह साबित करने के लिए कि तीनों अधिकारियों की पत्नियों को यौन स्पष्ट कॉल प्राप्त हुए थे, अभियोजन पक्ष ने इन्हें प्रस्तुत किया महिलाएँ-पीडब्लू-9, पीडब्लू-12 और पीडब्लू-18। उन्होंने इन कॉल और अपमानजनक भाषा को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताया। यह दिखाने के लिए कि

उक्त फोन से कॉल प्राप्त हुए थे जो प्रतिवादी के हैं, अभियोजन पक्ष ने एनओएफआरए लैंड लाइन नंबरों का कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) प्रस्तुत किया था। एन. ओ. एफ. आर. ए. के प्रभारी अधिकारी, जो पी. डब्ल्यू.-3 के रूप में उपस्थित हुए, एन. ओ. एफ. आर. ए. टेलीफोन एक्सचेंज के उक्त सी. डी. आर. की जांच करते हुए बताते हैं कि सभी कॉल मोबाइल नंबर 9564784782 से आए थे। उन्होंने प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। उनके द्वारा इस आशय से जारी किया गया कि तीन महिला पीड़ितों के लैंड लाइन नंबर एनओएफआरए टेलीफोन द्वारा प्रदान किए गए थे

विनिमय करें। उन्होंने विशेष रूप से उस सही और सही कॉल को अपदस्थ कर दिया

ए. एफ. टी. से पहले वोडाफोन। [पारस 15,23] [816-डी-ई; 826-सी] 3. एक बार जब अधिकारियों द्वारा किए गए कोर्ट मार्शल में आरोप साबित हो जाते हैं और ए. एफ. टी. ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाकर उसे अपनी प्रमुखता दे दी है, वह भी, साक्ष्य दर्ज करने के बाद, उसके विस्तृत विश्लेषण के साथ, यह पता लगाने के लिए कि नीचे दिए गए अधिकारियों के निष्कर्ष सही हैं या नहीं, पूरे साक्ष्य पर फिर से विचार करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है। तत्काल कार्यवाही अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत पसंद की गई अपील के रूप में होती है और इसलिए, न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में मामले की जांच कर रहा है। हालांकि, इस तरह की अपील का दायरा सीमित है। धारा 30 और 31 के एक संयुक्त पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस न्यायालय में अपील सामान्य सार्वजनिक महत्व पर कानून के एक बिंदु पर होनी चाहिए। इस अपील का सीमित दायरा ए. एफ. टी. द्वारा दी गई सजा की मात्रा पर होगा। सेवा से बर्खास्तगी की सजा को दरकिनार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने इसे [2018] 3 एस. सी. आर. के नुकसान की सजा से प्रतिस्थापित किया है।

24 महीने के लिए वरिष्ठता। इसके अलावा, सेवा में बहाली का निर्देश देते हुए, न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया है कि प्रतिवादी सेवा से बर्खास्त होने की तारीख से बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए भुगतान और भत्ते का हकदार नहीं होगा, यदि यह न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर है। प्रत्यर्थी को बहाल नहीं किया गया है सेवा के रूप में इस न्यायालय ने उक्त आदेश/निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी अभी भी सेवा से बाहर है और इसलिए, न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से अपना वेतन खो देता है जो 04 मार्च, 2015 को पारित किया गया था। उत्तरदाता था

26 जनवरी, 2013 के आदेशों द्वारा सेवा से बर्खास्त। इन सभी कारणों से, न्यायाधिकरण के आदेश में सजा पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रभाव यह है कि न केवल प्रतिवादी की वरिष्ठता 24 महीने तक जब्त हो जाती है, बल्कि वह पांच साल से अधिक समय तक अपने वेतन से भी वंचित रहता है। ऐसी सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी और इन परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाएगा। न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 25,26,29,30] [826-ई-एफ; 828-ए, सी-एफ]

सोनू उर्फ अमर बनाम। हरियाणा राज्य (2017) 8 एससीसी 570 ; यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया बनाम

के. जी. संगमेश्वरन और अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 741:

[1997] 2 एस. सी. आर. 756-संदर्भित।

शफी मोहम्मद। वी. हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एस. सी. सी. 801-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 8 एस. सी. सी. 570

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[1997] 2 एससीआर 756

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

(2018) 2 एस. सी. सी. 801

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 24

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2016 का सं. 579।

सशस्त्र के 04.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के मूल आवेदन संख्या 55 में बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, मुंबई

के साथ

2016 की आपराधिक अपील संख्या 574।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई

मनिंदर सिंह, एएसजी, अमित शर्मा, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, मुकेश कुमार मारोरिया, डॉ. हर्षवर्धन प्रताप शर्मा, ए. के. श्रावस्तव, पारस जोशी, पंकज कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. ये दोनों दोनों पक्षों द्वारा एल. आई. एस. में दायर की गई परस्पर अपीलें हैं। एक ओर नौसेना प्रमुख के साथ-साथ फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग-इन के साथ भारत संघ है।

प्रमुख, मुख्यालय, पश्चिमी नौसेना कमान (इसके बाद 'अपीलार्थी' के रूप में संदर्भित)। दूसरी ओर कमांडर रवींद्र वी हैं। देसाई, भारतीय नौसेना के एक नौसेना अधिकारी (इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित)।

2. प्रत्यर्थी के खिलाफ कुछ आरोपों पर, उसे दस आरोपों वाले आरोप पत्र के साथ पेश किया गया, जिसके कारण उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट मार्शल ने सभी आरोपों पर 'दोषी' होने के निष्कर्ष को वापस कर दिया, जिसके कारण नौसेना सेवा से बर्खास्तगी की सजा के साथ-साथ 24 कैलेंडर महीनों की वरिष्ठता को जब्त कर लिया गया। विभागीय उपचार समाप्त होने के बाद, प्रतिवादी ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'ए. एफ. टी.') के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी। उचित स्तर पर बताए गए कुछ कारणों का पता लगाते हुए, ए. एफ. टी. ने दोनों पक्षों को अवसर देकर उन आरोपों पर साक्ष्य दर्ज करने का फैसला किया। ए. एफ. टी. के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, ए. एफ. टी. ने तीन आरोपों (8 वें, 9 वें और 10 वें आरोप) के संबंध में 'दोषी' के निष्कर्ष को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास कोई आरोप नहीं था।

1 से 7 तक शुल्कों के साथ संबंध। हालांकि, 1 से 7 तक के आरोपों के संबंध में, ए. एफ. टी. ने कहा कि अपीलार्थी इन आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर सकता है।

ठोस साक्ष्य द्वारा आरोप। इसके बाद ए. एफ. टी. सजा की मात्रा पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

'सेवा से बर्खास्तगी' की सजा आरोपों की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसने यह भी कहा कि जब प्रतिवादी को 'सेवा से बर्खास्तगी' की सजा दी गई थी, तो दूसरी सजा, अर्थात् 24 महीने के लिए वरिष्ठता को जब्त करने का कोई मतलब नहीं था। इन आधारों पर, ए. एफ. टी. ने 'सेवा से बर्खास्तगी' की सजा को दरकिनार कर दिया और कहा कि न्याय के हित को पूरा किया जाएगा यदि प्रतिवादी को केवल '24 महीने की वरिष्ठता को जब्त करने' की सजा दी जाती है। तदनुसार, इसने अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिवादी को मध्यवर्ती अवधि के लिए किसी भी वेतन, यानी पिछले वेतन के भुगतान के बिना नौसेना सेवा में बहाल करें। दोनों पक्ष इस फैसले से दुखी हैं।

पहली बार में, उन्होंने अपील करने की अनुमति के लिए ए. एफ. टी. के समक्ष आवेदन दायर किया। ए. एफ. टी. ने इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सार्वजनिक महत्व के कानून का कोई सवाल शामिल नहीं है। यही कारण है कि दोनों

इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए पक्षकार। इन अपीलों को एक साथ जोड़ा गया था। नोटिस जारी करते समय प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में, ए. एफ. टी. के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। नतीजतन, प्रतिवादी को सेवा में वापस शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। इन दोनों अपीलों को औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2016 को स्वीकार कर लिया गया और सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इस तरह अपीलें अंतिम सुनवाई के लिए सामने आई हैं जिसमें दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई हुई।

3. उपरोक्त परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ, अब हम मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को कुछ और विस्तार से बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवादी को 1 जनवरी, 1998 को भारतीय नौसेना में उप-नौसेना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

लेफ्टिनेंट। उन्हें 16 जनवरी, 2011 को कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उस समय वह अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में आई. एन. एस. महिश के कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात थे। उनकी उपरोक्त पोस्टिंग थी मई, 2010 से जून, 2011 तक। जून, 2011 में, उन्हें 2 जून, 2011 के आदेशों के अनुसार कमांडर ऑपरेशन के रूप में आई. एन. एस. विराट में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त आदेशों का पालन करते हुए, प्रतिवादी अपनी पत्नी और बेटियों के साथ 15 जून, 2011 को मुंबई के लिए रवाना हो गया। प्रत्यर्थी 10 दिनों की छुट्टी/शामिल होने के समय के साथ स्थानांतरित स्थान पर कर्तव्यों में शामिल हुआ। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस द्वारा पोर्ट ब्लेयर से मुंबई तक की उपरोक्त यात्रा की थी। उनके अनुसार, मुंबई पहुंचने पर वह अपनी साली अमिता गावंकर के साथ मुंबई के गोरेगांव में रहे क्योंकि वे 25 जून, 2011 तक छुट्टी पर थे। 16 जून, 2011 से 19 जून, 2011 तक उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अपने परिवार के साथ गोवा भी गए। जून को

25 , 2011 , वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ आधिकारिक आवास, यानी इंटीग्रेटेड मेस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉटेज नंबर 1 में स्थानांतरित हो गए।

उस समय उन्हें आवास आवंटित किया गया था। 26 जून, 2011 को उन्होंने आई. एन. एस. विराट के लिए प्रतीक्षा करने वाले जहाज आई. एन. एस. तारागिरी को सूचित किया, क्योंकि आई. एन. एस. विराट उस समय कोच्चि में था। 29 जून, 2011 को उन्होंने कोच्चि में आई. एन. एस. विराट में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया।

आई. एन. एस. महिश, पोर्ट ब्लेयर में तैनात थे। बी. एस. एन. एल. से एक नंबर के साथ। 9476045470 अपने लिए और वोडाफोन साउथ लिमिटेड से नंबर के साथ दूसरा। 9564784782 अपनी पत्नी के लिए। उनके अनुसार, 19 जून, 2011 को यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

जब वे मुंबई आए तो उन्होंने आइडिया सेल्युलर प्राइवेट से दो सिम कार्ड खरीदे। लिमिटेड, एक के पास अपने लिए 8108770020 है और दूसरे के पास नहीं है। 8108770030 जो उसकी पत्नी के लिए था। 5. 1 जुलाई, 2011 को लगभग 1 बजे उन्हें नींद से जगाया गया और कमांडर मनोज झा (पीडब्लू-20) उन्हें कैप्टन के पास ले गए।

आई. एन. एस. विराट के कमांडिंग ऑफिसर हरि कुमार। कैप्टन हरि

कुमार ने उनसे मोबाइल नंबर के बारे में पूछताछ की। 9564784782 , क्योंकि कुछ नौसेना अधिकारियों की पत्नियों को उसी नंबर से यौन स्पष्ट कॉल प्राप्त हुए थे। उन्होंने समझाया कि यह सिम कार्ड उनकी पत्नी के कब्जे में रहा, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तलाशी ली गई लेकिन प्रतिवादी के पास ऐसा कोई सिम कार्ड नहीं मिला। उनके मोबाइल फोन नं. 8108770020 उसे जब्त कर लिया गया और 18 घंटे के लिए विस्तृत कर दिया गया, जिसके बाद अगले दिन उसे वापस कर दिया गया। इसके बाद 05 जनवरी, 2012 को वन मैन इन्क्वायरी (संक्षेप में, 'ओ. एम. आई.') का आदेश दिया गया। यह ओ. एम. आई. 11 जनवरी, 2012 से आयोजित किया गया था और 31 जनवरी, 2012 को समाप्त हुआ था। इसके बाद, प्रत्यर्थी को कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमे के लिए 05 सितंबर, 2012 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था। प्रतिवादी के खिलाफ दस आरोप तय किए गए थे। जिनमें से सात भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 509 के साथ पठित नौसेना अधिनियम, 1957 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 77 (2) के तहत थे और प्रतिवादी के खिलाफ नौसेना अधिनियम की धारा 58,74 और 48 (सी) के तहत तीन आरोप बनाए गए थे। ये आरोप कथित अश्लील कॉल से संबंधित थे कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा तीन महिलाओं को किया गया।

6. यह ओ. एम. आई. के निष्कर्षों पर है, मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमान ने कमांडिंग ऑफिसर, आई. एन. एस. कुंजली को निर्देश दिया जहां

प्रतिवादी को अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के सारांश (एस. ओ. ई.) की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए संलग्न किया गया था।

7. 05 सितंबर, 2012 को, कमांडिंग ऑफिसर, आई. एन. एस. कुंजली ने आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों को पढ़ा और प्रतिवादी ने कहाः

उन्हें जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया, जो उन्होंने किया। इसके बाद, निर्णय लिया गया कि प्रतिवादी को कोर्ट मार्शल के मुकदमे में लाया जाए। कोर्ट मार्शल में अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों से पूछताछ की और 40 दस्तावेज पेश किए जिन्हें प्रदर्शित किया गया। अदालत ने पांच गवाहों को सह-गवाह के रूप में बुलाया और 19 दस्तावेजों को 'प्रदर्शन' के रूप में प्रदर्शित किया (सी-1 से सी-19)। मुकदमे के समापन के बाद, 'दोषी' का निष्कर्ष वापस कर दिया गया था

ऊपर बताए अनुसार सभी 10 आरोपों और सजा दी गई थी। इसके बाद, अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. दायर किया।

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. अब तक जिन तथ्यों पर ध्यान दिया गया है, वे दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थी के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि उसने तीन महिलाओं, श्रीमती रीना चंदेल (पीडब्लू-9), श्रीमती अदिति बारथवाल (पीडब्लू-12) और श्रीमती पल्लवी तिवारी (पीडब्लू-18), जो नौसेना के तीन अधिकारियों की पत्नियां हैं, को स्पष्ट यौन कॉल किया था। ये कॉल किए गए थे वोडाफोन सेल फोन संख्या 9564784782। इसके अलावा, ये कॉल उनके लैंडलाइन नंबरों पर किए गए थे जो एनओएफआरए (नौसेना अधिकारी आवासीय क्षेत्र) द्वारा स्थापित और संचालित एनओएफआरए एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए थे। क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को एन. ओ. एफ. आर. ए. के आदान-प्रदान से एक विस्तार संख्या प्रदान की जाती है। वे फोन करने वाले व्यक्ति को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने पतियों से शिकायत की, जो

बारी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और अंत में, इन तीन महिलाओं को किए गए सभी यौन स्पष्ट कॉल मोबाइल नंबर 9564784782 पर पाए गए। ये कॉल रीना चंदेल को 21 जून, 2011 की रात को, 22 जून, 2011 की सुबह, 23 जून, 2011 की दोपहर को किए गए थे और आखिरी कॉल 30 जून, 2011 की सुबह 6 बजे की गई थीः 57 . उनकी विस्तार संख्या 22217 थी। तेरह कॉल किए गए थे

श्रीमती पल्लवी (पीडब्लू-18) 31 जून, 2011 और 1 जुलाई, 2011 के बीच रात के दौरान। पीडब्लू-12 अदिति को 30 जून, 2011 की रात में दो बार इसी तरह के कॉल आए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी कॉल का पता आरोपी के नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबर 9564784782 पर एन. ओ. एफ. आर. ए. एक्सचेंज के रिकॉर्ड के माध्यम से लगाया गया था। शुरू में, नौसेना प्राधिकरणों या एनओएफआरए एक्सचेंज का संचालन करने वाले अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि किससे कहा गया था। मोबाइल का था। इसलिए, उनके लिए कॉल करने वाले व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल था। उन्होंने पुलिस उपायुक्त, जोन I, मुंबई से संपर्क किया, जिन्होंने उक्त मोबाइल नंबर के बारे में कई सेवा प्रदाताओं से पूछताछ की। अंत में, यह पता चला कि उक्त मोबाइल प्रत्यर्थी के नाम पर वोडाफोन साउथ लिमिटेड के पास पंजीकृत था, जिसका कार्यालय कोलकाता में है।

9. उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए, अपीलार्थियों को उपरोक्त सामग्री स्थापित करने की आवश्यकता थीः

(क) प्रत्यर्थी के पास, प्रासंगिक समय पर, वोडाफोन था

सेल फोन संख्या 9564784782।

(ख) लैंडलाइन नंबरों पर अश्लील कॉल किए गए थे

तीन महिलाएं और ऊपर वर्णित तिथियों पर।

(ग) ये कॉल मोबाइल नंबर 9564784782 से आए थे और

उत्तरदाता द्वारा किए गए थे और कोई और नहीं।

10. जहां तक पहले घटक का संबंध है, यह स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसके पास वोडाफोन के साथ सेल फोन था

कनेक्शन और सिम कार्ड फोन नंबर 9564784782 के साथ प्रदान किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी का बचाव यह था कि संबंधित तिथियों पर, प्रत्यर्थी के पास यह नंबर नहीं था और वास्तव में, सिम कार्ड खो गया था और सिम कार्ड के खो जाने के बारे में पुलिस को एक रिपोर्ट दी गई थी। इस संबंध में उनके स्पष्टीकरण का विवरण इस प्रकार है - कि जब प्रतिवादी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया गया था, तो उसने मोबाइल हैंडसेट के लिए दो मोबाइल सिम कार्ड खरीदे थेः बी. एस. एन. एल. से उनके लिए नंबर 9476045470 और वोडाफोन साउथ लिमिटेड से उनकी पत्नी श्रीमती पल्लवी देसाई के लिए नंबर 9564784782 के साथ दूसरा। जून, 2011 में, उन्हें 2 जून, 2011 के आदेश के अनुसार कमांडर ऑपरेशन के रूप में आई. एन. एस. विराट में स्थानांतरित और तैनात किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेशों के अनुसार, मुंबई पहुंचने के बाद, उन्होंने 19 जून, 2011 को आइडिया सेल्युलर प्राइवेट लिमिटेड से दो आइडिया सिम कार्ड खरीदे, जिनका नंबर उनके लिए 8108770020 और उनकी पत्नी के लिए 8108770030 था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने मोबाइल सिम कार्ड नंबर 9476045470 को नष्ट कर दिया और उसे नए मोबाइल सिम नंबर 8108770020 से बदल दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पुराने सिम नंबर 9564784782 को नए मोबाइल सिम नंबर 8108770030 से बदलने की सलाह दी थी। उनके अनुसार, जब अधिकारी 1 जुलाई, 2011 को कोच्चि में आईएनएस, विराट में उनके केबिन में गए और उनसे मोबाइल नंबर 9564784782 के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उक्त नंबर का उपयोग उनकी पत्नी ने पूरे समय किया था। इसके बाद, जब उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया, तो उन्हें बताया गया कि उनके पर्स से सिम कार्ड गायब है। फिर, उसने अपनी पत्नी को पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करने और सेवा प्रदाता को सूचित करने की सलाह दी जो उसने 4 जुलाई, 2011 को की थी। यह भी उनका मामला है कि जब अधिकारियों ने उनके केबिन की तलाशी ली, तो उन्हें प्रतिवादी के साथ वह सिम कार्ड नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि उक्त सिम कार्ड प्रतिवादी के पास नहीं था और इसलिए, वह कथित अश्लील कॉल करने के लिए सिम का उपयोग नहीं कर सकता था।

11. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने मोबाइल नंबर के साथ वोडाफोन से सिम कार्ड खरीदा था।

9564784782. हालाँकि, उनके अनुसार, यह सिम कार्ड उनके पास नहीं था और उनकी पत्नी द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, मुंबई पहुंचने पर एक और सिम कार्ड खरीदने के बाद, इस सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया गया और अंततः अपनी पत्नी की हिरासत से भी गायब पाया गया। प्रत्यर्थी के उपरोक्त स्पष्टीकरण को जी. सी. एम. या ए. एफ. टी. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, और ठीक ही है।

इसलिए, अपने बयान में, प्रत्यर्थी ने यह रुख अपनाया कि उसकी पत्नी ने सिम कार्ड को उसके पर्स में रखा है और यात्रा के दौरान उसे गिरा सकती थी। स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उपरोक्त विरोधाभासी संस्करणों के अलावा, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का एक विशेष टुकड़ा

अपीलार्थी इस मुद्दे को सुलझा लेते हैं। ए. एफ. टी. द्वारा यह देखा गया है कि 04 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार (उदा. पी-29) 4 जुलाई, 2011 को प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया, 20 जून, 2011 को शाम 6 बजे से 25 जून, 2011 के बीच सिम कार्ड खो गया था। लेकिन 20 जून, 2011 के बाद भी इस मोबाइल नंबर से सीडीआर को कॉल किए गए। अर्जुन कुमार (पीडब्लू-33) और कमांडर डॉ। अर्जुन कुमार ने अपदस्थ कर दिया कि उन्हें ये कॉल प्राप्त हुए हैं

उत्तरदाता। ए. एफ. टी. द्वारा इस पहलू पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गई हैः

" अगर हम आरोपी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई इस रिपोर्ट को देखें, तो यह कि उक्त सिम कार्ड कभी-कभी रास्ते में खो जाता था।

दिखाई देता है

6.0020 से 25 जून, 2011 को अपराह्न। अब आरोपी के अनुसार, 19 जून, 2011 से उसकी पत्नी के सिम कार्ड को नए कार्ड से बदल दिया गया था और कभी-कभी 20 जून, 2011 की शाम से 25 जून, 2011 तक 9564784782 का पुराना सिम कार्ड गायब हो गया था। यदि ऐसा है तो इस नंबर का उपयोग कम से कम 21 जून, 2011 से कोई कॉल करने के लिए नहीं किया जा सकता था। सी. डी. आर., प्रदर्शनी टी-2 के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि 20 जून, 2011 को 13.29 बजे, इस मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था।

9619796549 , जो सी. डी. आर. का मोबाइल नंबर था। अर्जुन कुमार। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि 20 जून, 2011 को ही 18.31 घंटे पर, फिर से उक्त मोबाइल से उपरोक्त संदर्भित सी. डी. आर. के मोबाइल नंबर पर कॉल आया था। अर्जुन कुमार। अभियुक्त के उक्त मोबाइल से सीडीआर के मोबाइल पर भी कॉल आया था। अर्जुन कुमार 23 जून, 2011 को 11.46 बजे। 25 जून, 2011 को 09.50 घंटे और 15.06 घंटे पर फिर से उक्त मोबाइल नंबर 9564784782 से सी. डी. आर. के मोबाइल नंबर 9619796549 पर दो कॉल आए। अर्जुन कुमार। फिर से, उक्त मोबाइल से तीन कॉल आए

सी. डी. आर. के मोबाइल पर नंबर। अर्जुन कुमार 28 जून, 2011 को यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

17.15 से 17.55 घंटों के बीच। पीडब्लू-33 सीडीआर। अर्जुन कुमार ने शपथ लेते हुए कहा है कि उन्हें ये कॉल आए थे और

आरोपी इन सभी दिनों अपने मोबाइल से उसके संपर्क में था। इससे पता चलता है कि 25 जून, 2011 के बाद भी आरोपी द्वारा उक्त मोबाइल का उपयोग किया जा रहा था। सीडीआर। अर्जुन कुमार के पास यह झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था कि उन्हें फोन आए थे।

इन दिनों अभियुक्त "।

डॉ. शर्मा ने कमांडर की साख को हटाने के प्रयास में व्यापक तर्क दिया था। अर्जुन कुमार। हालाँकि, हमारे विचार में, उनका

बयान अडिग और विश्वसनीय रहता है।

13. एक और दिलचस्प सबूत जो सामने आया है और जो इस पहलू पर प्रतिवादी को मजबूत करता है, वह यह है कि स्वयं प्रतिवादी के अनुसार, वह 29 जून, 2011 को आई. एन. एस. विराट पर ड्यूटी में शामिल होने के लिए कोच्चि गया था। इस उद्देश्य के लिए, वह 29 जून, 2011 को एयर इंडिया ए. आई.-681 उड़ान से मुंबई से रवाना हुए थे, जो 5 बजे मुंबई से रवाना हुई थीः 30 शाम 7 बजे कोच्चि पहुँचेः 20 29 जून, 2011 को अपराह्न। इनमें से एक कॉल 05 बजे इस फोन से की गई थीः 01 मुंबई क्षेत्र से पीएम। इसके बाद, उसी दिन 08 बजे इसी फोन से एक और कॉल आयाः 01 केरल क्षेत्र से पीएम। 05 बजेः 01 शाम को जब मुंबई से फोन आया तो प्रतिवादी मुंबई में था और उसकी उड़ान 05 बजे मुंबई से रवाना हुईः 30 पीएम। वे 07 बजे कोच्चि पहुँचे थेः 20 शाम को और एक और कॉल 08 बजे किया जाता हैः 01 पीएम। इससे यह भी पता चलता है कि उपरोक्त संख्या वाला सेल फोन केवल प्रतिवादी के पास था। ए. एफ. टी. ने इस पहलू पर निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट रूप से चर्चा की हैः

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कॉल वोडाफोन मुंबई क्षेत्र से की गई थी। इसके बाद, आरोपी के उक्त मोबाइल से अगली कॉल 29 जून, 2011 को 20.01 बजे आई। किया गया था और वह कॉल वोडाफोन केरल क्षेत्र से किया गया था। इसके बाद, 29 और 30 जून और 1 जुलाई, 2011 को सभी कॉल वोडाफोन केरल क्षेत्र के अभियुक्त के उक्त मोबाइल से किए जाते हैं। मान लीजिए, उस अवधि के दौरान आरोपी कोच्चि में था। यदि उक्त सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को मिला और वह सिम [2018] 3 एस. सी. आर. का उपयोग कर रहा था।

कार्ड, वह एक ही समय में और एक ही उड़ान में आरोपी के साथ यात्रा नहीं कर सकता था। अभियुक्त द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया यह दस्तावेज़, किसी भी उचित संदेह से परे, यह साबित करता है कि उक्त मोबाइल का उपयोग अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था और कोई और नहीं और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि तीनों महिलाओं को सभी यौन स्पष्ट कॉल अभियुक्त द्वारा अपने उक्त मोबाइल से किए गए थे।

और कोई नहीं। "

14. इसलिए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए संतोषजनक सबूत देने में सक्षम रहा है कि जब उल्लंघन विचाराधीन कॉल किए गए थे, मोबाइल नंबर 9564784782 वाला सेल फोन प्रतिवादी के पास था।

15. दूसरे घटक पर आते हुए, यह साबित करने के लिए कि तीन अधिकारियों की पत्नियों को यौन स्पष्ट कॉल प्राप्त हुए थे,

16. अब हम तीसरे घटक का विज्ञापन करते हैं। ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि कॉल सेल से किए गए थे फोन नंबर 9564784782। हालाँकि, कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं

सेवा प्रदाता, अर्थात् वोडाफोन दक्षिण मुंबई से उत्पादित सीडीआर का सम्मान और प्रतिवादी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि एन. ओ. एफ. आर. ए. अभिलेखों में, हालांकि सेल फोन संख्या 9564784782 का सही उल्लेख किया गया है, उक्त फोन संख्या आइडिया नेटवर्क से संबंधित के रूप में प्रदर्शित की गई है। उस आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि एनओएफआरए सीडीआर पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि, इसकी आवश्यकता है। यह दर्ज किया जाए कि अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त गलती के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया था। ए. एफ. टी. के समक्ष यह समझाया गया था कि प्रतिवादी के मोबाइल नंबर को गलती से भारत और ओ. आर. एस. के संघ के रूप में दिखाया गया था।

वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

एन. ओ. एफ. आर. ए. की प्रणाली में कोड "95" को आइडिया सेल के रूप में फीड करने के कारण आइडिया सेल नंबर। श्री फर्नांडिस ने भी यह स्पष्ट किया कि

सी. डब्ल्यू.-2 के रूप में प्रकट हुआ। वे एन. ओ. एफ. आर. ए. प्रणाली के प्रोग्रामर थे। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि इस बिंदु पर प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है। इस पहलू पर ए. एफ. टी. की चर्चा इस प्रकार हैः

9564784782 आइडिया सेल था। उन्होंने तर्क दिया कि इस दृष्टि से रिकॉर्ड के अनुसार, वोडाफोन साउथ से सी. डी. आर. प्रदर्शनी पी-27 या प्रदर्शनी टी-2 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि, के लिए विद्वान वकील

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यह गलत तरीके से दिखाया गया था कि मोबाइल नंबर आइडिया सेल का था और यह गलती एनओएफआरए की प्रणाली में आइडिया सेल के कोड "95" को फीड करने के कारण हुई थी। इस तथ्य को सी. डब्ल्यू.-2 फर्नांडीस द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो एन. ओ. एफ. आर. ए. प्रणाली के प्रोग्रामर थे। के लिए विद्वान सलाहकार

अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को मौका नहीं दिया गया था

न्यायालय के गवाहों से जिरह करें और इसलिए सी. डब्ल्यू. 2 फर्नांडीस के साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है। मुकदमे के दौरान एक वकील ने आरोपी का बचाव किया। अदालत के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के समय आरोपी और उसका वकील मौजूद थे। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वकील अदालत के गवाहों से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई थी। सी. डब्ल्यू.-2 फर्नांडिस के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है। सीडीआर

प्रदर्शनी टी-2 को टीडब्ल्यू-1 साबिर कुमार देब द्वारा साबित किया गया है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है। इसलिए गलत को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है।

एन. ओ. एफ. आर. ए. में दर्ज जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर आइडिया सेल का था।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस विवाद को उठाने के अलावा कि एनओएफआरए रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह आइडिया सेल नंबर था, यह विवादित नहीं है

एन. ओ. एफ. आर. ए. प्रणाली में दर्ज किया गया वह फ़ोन नंबर वही है जो प्रत्यर्थी का है। यह केवल फोन नंबर का विवरण है जिसे गलती से आइडिया सेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था जिसे अपीलार्थियों द्वारा संतोषजनक रूप से समझाया गया है। इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेल नंबर आइडिया और वोडाफोन दोनों का नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. एक पहलू पर चर्चा की जानी बाकी है। कोर्ट मार्शल में

कार्यवाही में, वोडाफोन दक्षिण मुंबई के अधिकारी को पेश किया गया, जो यह साबित करने के लिए सेल फोन का सीडीआर लेकर आया था कि कॉल इस फोन से किए गए थे। उक्त अधिकारी की जांच पीडब्लू-13 के रूप में की गई और उनके द्वारा प्रस्तुत सीडीआर रिकॉर्ड को एक्सएच के रूप में चिह्नित किया गया। पी-27। हालांकि, ए. एफ. टी. के समक्ष, प्रतिवादी ने आपत्ति जताई थी कि ए. एक्स. एच. पी-27 का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं था क्योंकि पीडब्लू-13 द्वारा प्रस्तुत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र ग्राहक समझौते के संबंध में था न कि सीडीआर के लिए और यह कि पीडब्लू-13 नोडल अधिकारी था

वोडाफोन मुंबई के लिए और वोडाफोन साउथ के लिए नहीं। उपरोक्त तकनीकी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 17 के तहत नोडल अधिकारी, मुंबई सेक्टर, वोडाफोन को प्रतिवादी के मोबाइल नंबर का सी. डी. आर. प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ समन करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन पर 20 नवंबर, 2014 का आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत आवेदन में निहित प्रार्थना की अनुमति दी गई थी और नोडल अधिकारी को समन जारी किया गया था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवादी से संबंधित मोबाइल नंबर के सी. डी. आर. के उत्पादन के लिए मुंबई सेक्टर, वोडाफोन। इस आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। ए. एफ. टी. द्वारा जारी समन के जवाब में

10 नवंबर, 2014 को वोडाफोन साउथ लिमिटेड, कोलकाता ने धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ सीडीआर के साथ-साथ प्रतिवादी का ग्राहक समझौता प्रस्तुत किया था, जिसे प्रदर्शनी टी-3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि, ए. एफ. टी. उस प्रारूप से संतुष्ट नहीं था जिसमें वोडाफोन साउथ लिमिटेड द्वारा प्रदर्शनी टी-3 उपलब्ध कराया गया था। 26 फरवरी, 2015 के अपने आदेश में, ए. एफ. टी. ने स्पष्ट रूप से कहा कि ए. एफ. टी. को उपलब्ध कराया गया सी. डी. आर. (प्रदर्शनी टी-3) कॉल की क्रम संख्या, ए संख्या (यानी वह संख्या जिससे कॉल की उत्पत्ति हुई थी) और बी संख्या (वह संख्या जिससे कॉल की गई थी), कॉल का वर्ष, समय और अवधि के संबंध में पिछले सी. डी. आर. (प्रदर्शनी पी-27) के समान था। हालांकि, कुछ विवरण जैसे तारीख, समय, महीना आदि उक्त सी. डी. आर. (प्रदर्शनी टी-3) से गायब थे। इसके अलावा, धारा 65-बी प्रमाण पत्र पर उस व्यक्ति का पदनाम नहीं था जिसने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, 26 फरवरी, 2015 के आदेश के माध्यम से, ए. एफ. टी. ने नोडल अधिकारी, वोडाफोन साउथ को ए. एफ. टी. के समक्ष 1 जून, 2011 से 4 जुलाई, 2011 की अवधि के लिए ग्राहक समझौते और धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ उक्त मोबाइल फोन नंबर का पूरा सी. डी. आर. न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। वोडाफोन के संबंधित अधिकारी को भी निर्देश दिया गया था कि

भारत और ओ. आर. एस. का वर्तमान संघ। वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

3 मार्च, 2015 को न्यायाधिकरण के समक्ष। इसके अनुपालन में वोडाफोन के श्री सुबीर कुमार देब ए. एफ. टी. के समक्ष टी. डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुए और समझाया कि यह केवल अनुचित संरेखण आदि के कारण है कि सी. डी. आर. प्रदर्शनी टी.-3 में कुछ जानकारी उत्पन्न होने से हटा दी गई थी। उन्होंने यह भी समझाया कि कभी-कभी सर्वर में लिंकिंग सिस्टम की विफलता के कारण कुछ जानकारी सामने नहीं आ सकती है। हालांकि, ए. एफ. टी. ने सी. डी. आर. प्रदर्शनी टी-3 को ध्यान में नहीं रखने का फैसला किया। ए. एफ. टी. के 26 फरवरी, 2015 के आदेश के अनुसार, वोडाफोन इंडिया के अधिकारी श्री सुधीर कुमार देब ए. एफ. टी. के समक्ष टी. डब्ल्यू.-1 के रूप में पेश हुए। ए. एफ. टी. ने पुणे स्थित केंद्रीकृत सर्वर में वोडाफोन द्वारा सी. डी. आर. को संग्रहीत करने के तरीके के संबंध में टी. डब्ल्यू.-1 की गवाही दर्ज की है। टी. डब्ल्यू.-1 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (प्रदर्शनी टी-1) की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रतिवादी के मोबाइल नंबर का सी. डी. आर. (प्रदर्शनी टी-2) भी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। सी. डी. आर. धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ टी-2 को प्रदर्शित करता है जिसे टी. डब्ल्यू-1 द्वारा विधिवत साबित किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, टी. डब्ल्यू.-1 ने अन्य बातों के साथ कहा था कि सी. डी. आर. प्रदर्शनी टी-3 (ए. एफ. टी. को प्रस्तुत)

दिसंबर, 2014) को 1 नवंबर, 2011 को तैयार किया गया था, प्रदर्शनी टी 2 को 02 मार्च, 2015 को तैयार किया गया था और टीडब्ल्यू-1 द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया गया था। उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान सी. डी. आर. प्रदर्शनी टी-2 में कथित विसंगति को भी टी. डब्ल्यू. 1 द्वारा विधिवत समझाया गया था। उन्होंने बताया था कि 2011 के बाद, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी. डी. आर. का प्रारूप बदल दिया गया था। टी. डब्ल्यू.-1 की गवाही पर विचार करने के बाद, ए. एफ. टी. ने पाया है कि प्रदर्शनी टी-2, टी. डब्ल्यू.-1 द्वारा प्रस्तुत, विश्वसनीय है और वोडाफोन के केंद्रीकृत सर्वर में ठीक से संग्रहीत और उत्पन्न किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

" हालांकि, सुबीर कुमार देब ने शपथ लेते हुए कहा कि हालांकि सीडीआर, प्रदर्शनी टी-3, दिसंबर, 2014 में प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसी के शीर्षक से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह 1 नवंबर, 2011 को तैयार किया गया था, जबकि सीडीआर, प्रदर्शनी

उनके द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित टी-2 को इस न्यायाधिकरण से समन प्राप्त होने के बाद 2 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने समझाया कि अगर

लक्षित मोबाइल नंबर के लिए कॉल डेटा के हेडर या हेडिंग के लिए विशिष्ट आदेश दिया जाता है, यानी वह मोबाइल नंबर जिसके बारे में कॉल डेटा उत्पन्न किया जाना है, अवधि, तिथि और उत्पादन का समय मुद्रित किया जाता है और ऐसे मामले में, पहला कॉलम हमेशा कॉल का क्रम संख्या होता है। लेकिन अगर उस कमांड को शीर्षक नहीं दिया जाता है और क्रम संख्या कॉलम मुद्रित नहीं होता है।

और मुद्रित और संभवतः, सी. डी. आर. का प्रिंट लेते समय, टी-2 प्रदर्शित करें, उन्होंने हेडर या हेडिंग के लिए आदेश नहीं दिया था और इसलिए, सिरियल नंबर के लिए हेडिंग के साथ-साथ कॉलम है

सी. डी. आर. से गायब, टी-2 प्रदर्शित करें। उन्होंने आगे बताया कि 2011 के बाद, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी. डी. आर. का प्रारूप

इसे बदल दिया गया है और उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, मिस्ड कॉल को भी सी. डी. आर. से हटा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एस. एम. एस. के संबंध में ये मिस्ड कॉल अभी भी बनाए रखे जाते हैं क्योंकि एस. एम. एस. से कंपनी राजस्व उत्पन्न करती है, जबकि मिस्ड कॉल से ऐसा कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए, मिस्ड कॉल, जिन्हें पहले के रिकॉर्ड में 'शून्य' या 'शून्य' कॉल समय के रूप में दिखाया गया था, वर्तमान रिकॉर्ड में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन एस. एम. एस. के बारे में इस तरह के 'शून्य' रिकॉर्ड अभी भी बनाए रखे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 'कॉल टाइम' के लिए कॉलम को 9 वें कॉलम से तीसरे कॉलम में स्थानांतरित कर दिया गया है प्रारूप में परिवर्तन के कारण। गवाह सुबीर कुमार देब द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि सीडीआर, प्रदर्शनी टी-2, जो अब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विश्वसनीय है और इसे ठीक से केंद्रीकृत सर्वर में संग्रहीत और उत्पन्न किया गया है, जैसा कि उनके द्वारा अपदस्थ किया गया है। हम करते हैं।

कोई बड़ा दोष और मामूली परिवर्तन नहीं मिलता है और

पहले के अभिलेख और वर्तमान अभिलेख में अंतर, प्रदर्शनी

टी-2, गवाह द्वारा ठीक से समझाया गया है।

18. हम उपरोक्त निष्कर्षों से सहमत हैं। अपीलार्थियों ने सही तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत आई. सी. ए. टी. को किसी अवसर पर पेश न करना एक उपचार योग्य दोष था जिसे ठीक कर दिया गया। इस संबंध में कानून

एफ को सोनू उर्फ में इस अदालत के फैसले से सुलझा लिया गया है

आर. वी. हरियाणा राज्य ', जिसका पता निम्नानुसार लगाया जा सकता हैः

उक्त निर्णय में कहा गया हैः

" 32. यह किसी का मामला नहीं है कि सीडीआर जो एक रूप हैं

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। आपत्ति यह है कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष धारा 65-बी (4) द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रमाण के तरीके या तरीके से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करते समय उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में। महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में

7) 8 एस. सी. सी. 570 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में ठीक किया गया। इस परीक्षण को लागू करना वर्तमान मामला, यदि सी. डी. आर. पर कोई आपत्ति ली गई थी

प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित, न्यायालय दे सकता था

अभियोजन पक्ष को कमी को सुधारने का अवसर। यह भी है उपरोक्त निर्णयों से उन आपत्तियों को स्पष्ट करें जिनके बारे में

उन दस्तावेजों की स्वीकार्यता जो स्वयं अस्वीकार्य हैं

अपीलीय स्तर पर भी लिया जाता है। दस्तावेज़ की स्वीकार्यता

जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है, एक ऐसा मुद्दा है जिसे उठाया जा सकता है।

अपीलीय स्तर पर क्योंकि यह एक मौलिक मुद्दा है। द. सबूत का तरीका या तरीका प्रक्रियात्मक है और आपत्तियां, यदि नहीं ली गई हैं

मुकदमे में, अपीलीय स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर

सबूत के तरीके पर आपत्तियां लेने की अनुमति है एक पक्ष द्वारा अपीलीय चरण, दूसरे पक्ष के पास नहीं है

कमियों को सुधारने का अवसर। विद्वान वरिष्ठ सलाहकार

राज्य के लिए धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत निर्दिष्ट बयान,

1973 उक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के एक उदाहरण के रूप में

स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य। सीडीआर उक्त में नहीं आते हैं।

दस्तावेजों की श्रेणी। हम संतुष्ट हैं कि एक आपत्ति है कि

सी. डी. आर. निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण अविश्वसनीय हैं।

धारा 65-बी (4) को इस स्तर पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि आपत्ति प्रमाण के तरीके या तरीके से संबंधित है।

(जोर दिया गया) "

19. हम इस स्तर पर यह इंगित कर सकते हैं कि जब ए. एफ. टी. ने पाया

प्रदर्शनी टी-2 में भौतिक दोष, यह धारा 65-बी के समर्थन में था

एन साक्ष्य अधिनियम। ए. एफ. टी. ने अभ्यास में रिकॉर्ड तलब किया था

अधिनियम की धारा 17 में निहित था।

" 17. धारा 15 के तहत अपील पर न्यायाधिकरण की शक्तियाँ। - द.

न्यायाधिकरण, के तहत एक अपील की सुनवाई और निर्णय करते हुए

धारा 15 के पास शक्ति होगी -

(क) संबंधित दस्तावेजों या प्रदर्शनों के उत्पादन का आदेश देना।

अदालत के समक्ष कार्यवाही के साथ-मार्शल;

(ख) गवाहों की उपस्थिति का आदेश देना;

(ग) साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) कोर्ट-मार्शल से रिपोर्ट प्राप्त करना;

(ई) पूछताछ के लिए किसी भी प्रश्न का आदेश संदर्भ; [2018] 3 एस. सी. आर.

(च) विशेष विशेषज्ञ ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्त करें

एक मूल्यांकनकर्ता; और

(छ) किसी भी प्रश्न का निर्धारण करना जो मामले में न्याय करने के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

20. भारत संघ की ओर से पेश विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 17 के तहत ए. एफ. टी. को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 ए में निर्दिष्ट औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय की शक्तियों के समान हैं और इसलिए, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। के. जी.

संगमेश्वरन और श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण की शक्तियों की व्याख्या करने वाला एक अन्य ए. एफ. टी. पर भी लागू होगा। फिर भी हम

इन कार्यवाहियों में इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उनकी शक्तियों पर सवाल नहीं उठाया।

ए. एफ. टी. को वोडाफोन से रिकॉर्ड तलब करना और पक्षों को उसके समक्ष साक्ष्य पेश करने के साथ-साथ उक्त साक्ष्य की जांच करने की अनुमति देना। इस प्रकार, ए. एफ. टी. द्वारा की गई कार्रवाई के लिए प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा लगाए गए किसी भी प्रश्न चिह्न के अभाव में, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि यह अभ्यास वैध रूप से किया गया था।

साथ ही इसके बाद की चर्चा की प्रकृति को प्रतिबिंबित करेगी तथाकथित विसंगतियाँ और ए. एफ. टी. द्वारा इसका उत्तर। उद्देश्य के बाद

वोडाफोन साउथ लिमिटेड, कोलकाता के अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ उत्तरदाता के मोबाइल नंबर 9564784782 से संबंधित ग्राहक समझौते से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ सीडीआर प्रस्तुत करने के बाद एएफटी द्वारा 26 फरवरी, 2015 को पारित आदेशों के निम्नलिखित हिस्से को पुनः प्रस्तुत करके सेवा प्रदान की जाएगी।

" 2. उक्त अभिलेख की प्राप्ति के बाद, हमने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है

उपरोक्त प्रमाण पत्र दिनांक 10 दिसंबर, 2014 के साथ प्रस्तुत कॉल डेटा रिकॉर्ड के साथ-साथ वोडाफोन द्वारा जारी किए गए पहले के कॉल डेटा रिकॉर्ड के साथ-साथ

2 (1997) 4 एस. सी. सी. 741 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

26 दिसंबर, 2012 को ग्राहक समझौता. सावधानीपूर्वक अवलोकन और दोनों अभिलेखों की तुलना पर, हमने नोट किया है कि कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के दौरान पहले प्रदान किए गए अभिलेख में, प्रत्येक कॉल के खिलाफ, तारीख का उल्लेख 1 जून-2011 की तरह किया गया था।

हालाँकि, तारीख की तारीख के लिए कॉलम में, जो अब प्रदान की गई है, सभी प्रविष्टियों के खिलाफ, तारीख की प्रविष्टि को छोड़कर

" 01 - जुलाई-2011 ", तिथियाँ गायब हैं। केवल वर्ष '2011' दिखाया गया है। डेटा के निर्धारित प्रारूप में, इसके लिए कॉलम हैं

" फर्स्ट सेल आईडी ए "", लास्ट सेल आईडी ए "", आई. एम. ई. आई ". और आई. एम. एस. आई". भी। पिछले रिकॉर्ड में, सभी चार शीर्षों के तहत जानकारी प्रत्येक कॉल प्रविष्टि के खिलाफ प्रदान की गई थी। लेकिन यह जानकारी है कि

रिकॉर्ड में पूरी तरह से गायब है, जो अब हमें प्रदान किया गया है। रिकॉर्ड का तात्पर्य है कि इसे वोडाफोन साउथ लिमिटेड के कंप्यूटर/सिस्टम की निर्दिष्ट हार्ड डिस्क पर संग्रहीत किया गया है और

कॉल की अवधि दिखाई गई है। हम यह समझने में विफल रहते हैं कि ऊपर बताए गए तारीख, महीने और अन्य शीर्षों के बारे में डेटा हमें प्रस्तुत कॉल डेटा रिकॉर्ड में क्यों नहीं दिखाया गया है। चूंकि धारा 65-बी के तहत जारी प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति का नाम और पदनाम नहीं है, जिसने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए इस स्तर पर हमारे लिए यह जानना मुश्किल है कि पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड हमें कैसे और क्यों जमा नहीं किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की औपचारिकता पूरी हो गई है, लेकिन हमारी राय है कि कि धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के साथ पूर्ण कॉल डेटा रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जमा करने के हमारे आदेश का वोडाफोन साउथ लिमिटेड द्वारा पालन नहीं किया गया है। इसलिए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना आवश्यक समझते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नोडल अधिकारी, वोडाफोन साउथ लिमिटेड को समन जारी किया जाए, ताकि अधिकारी को निर्देश दिया जा सके, जो इसके लिए जिम्मेदार है।

उक्त प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त अभिलेख होगा धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा 3 मार्च, 2015 को ए. एम. से पहले इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया

व्यक्तिगत रूप से असफल नहीं।

हम इसके द्वारा वोडाफोन साउथ लिमिटेड को उस व्यक्ति के नाम और पदनाम का खुलासा करने का भी निर्देश देते हैं, जिसने कॉल डेटा रिकॉर्ड के साथ 10 दिसंबर, 2014 को धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र जारी किया था और उसे 3 मार्च, 2015 को सुबह 11.00 पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित रखने के लिए यह समझाने के लिए कि कैसे कुछ डेटा, विशेष रूप से तिथियां, फर्स्ट कॉल आईडी ए, लास्ट कॉल आईडी ए, आई. एम. ई. आई. और आई. एम. एस. आई. उक्त रिकॉर्ड से गायब हैं।

22. इस संबंध में, हम यह भी ध्यान देते हैं कि श्री साबिर कुमार देब, आधिकारिक रूप से वोडाफोन, ए. एफ. टी. के समक्ष अपने बयान में एक गवाह के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने विंग सहित सभी पहलुओं को उचित और संतोषजनक रूप से स्पष्ट कियाः

" मुख्य परीक्षाः

मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड को पुणे में स्थित केंद्रीकृत सर्वर में रखा जाता है। वोडाफोन लिमिटेड के तहत सभी 23 लाइसेंसधारियों द्वारा जारी किए गए फोन के कॉल रिकॉर्ड हैं - केंद्रीकृत सर्वर में संरक्षित और बनाए रखा जाता है।

जिस मोबाइल नंबर के लिए तारीख निकाली गई है वह 'लक्ष्य' है।

प्रणाली के लिए संख्याएँ। हाथ समूह की पहचान संख्या जिससे वह मोबाइल संख्या संचालित होती है, आई. एम. ई. आई. कॉलम में दर्ज की जाती है।

उसी हैंडसेट नंबर को उस कॉलम में दिखाया जाएगा जब उस मोबाइल हैंडसेट द्वारा कॉल किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। हालांकि, अगर हैंडसेट बदला जाता है, तो उस हैंडसेट की पहचान बदल जाती है।

और इसलिए, संख्या समान हो सकती है। जब मोबाइल नंबर सेवा प्रदाता/लाइसेंसधारी के क्षेत्र के बाहर घूम रहा हो तो सेल आई. डी. ए. और आई. एम. ई. आई. भारत के एन. आई. ओ. एन. और ओ. आर. एस. को रिकॉर्ड नहीं करेंगे।

वी. सीडीआर। रवींद्र वी. देसाई [ए. के. सिकरी, जे.]

सही संख्याएँ क्योंकि यह लाइसेंसधारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में सही संख्या को नहीं पकड़ सकती है। इसलिए, दिनांक 15.06.2011 की तीसरी प्रविष्टि से संख्या 4 पर, IMEI के लिए कॉलम

पृष्ठ खाली है। उस प्रविष्टि के बाद से अंत तक 01.07.2011 पर मोबाइल नंबर होम नेटवर्क क्षेत्र के बाहर काम कर रहा था। अंतिम कॉलम में उस क्षेत्र को दर्शाया गया है जिसमें मोबाइल घूम रहा था। अब, मुझे वह अभिलेख दिखाया गया है जो मैंने पूर्व के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया है। टी-2। मेरे पास उपलब्ध अभिलेख के साथ उस अभिलेख को पढ़ने के बाद, मैं कहता हूं कि निरीक्षण के कारण, पृष्ठ नं। 8 6 बजे 30.06.2011 से कॉल दिखाने वाले रिकॉर्ड का विवरणः 20: 12 21 बजे 01.07.2011 पर कॉल करने के लिएः 53: 28 न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब, मैं अपने नीचे उक्त अभिलेख वाले पृष्ठ को संलग्न कर रहा हूँ।

वोडाफोन साउथ लिमिटेड के हस्ताक्षर और डाक टिकट। में कहता हूँ कि

अभिलेख सत्य है और प्रणाली के अनुसार उत्पन्न होता है। (उक्त अभिलेख को सी. डी. आर. एक्स. में जोड़ा जाता है। टी-2 पृष्ठ संख्या 8 के रूप में)।

अब, 10.12.2014 दिनांकित अभिलेख और पत्र में अनुच्छेद को चिह्नित किया गया है

टी-1 (अब टी-3) सामूहिक रूप से मुझे दिखाया गया है। इसमें वही कॉल डेटा रिकॉर्ड है जो मैंने आज प्रस्तुत किया है। हालांकि, रिकॉर्ड डेटा में, फर्स्ट सेल आईडीए, लास्ट सेल आईडीए, आई. एम. ई. आई. और आई. एम. एस. ई. कॉलम खाली हैं। इसके अलावा, एस. एम. एस. केंद्र कॉलम खाली है। उस रिकॉर्ड के शीर्षक से पता चलता है कि मोबाइल नंबर 95664784782 का रिकॉर्ड

1.6.2011 4.7.2011 तक और रिपोर्ट दिनांकित 1.11.2011 थी। इसी तरह का शीर्षक अभिलेख पर मुद्रित नहीं है जो मैंने आज प्रस्तुत किया है। ऊपर उल्लिखित कॉलम कॉल रिकॉर्ड के प्रिंट लेते समय कॉलम के कुछ गलत संरेखण के कारण खाली रहे होंगे। अब, उक्त अभिलेख अनुच्छेद टी-1 को प्रदर्शनी टी-3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

मेरा कहना है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड में जानकारी को प्रिंट लेने से पहले चुनिंदा रूप से हटाया नहीं जा सका। क्रॉस-परीक्षाः

नेटवर्क लिंक की विफलता के कारण भी मैं स्वेच्छा से कभी-कभी 'तत' कहता हूं।

टी-2, कॉलम 'कॉल टाइम' को पूर्व में कॉल डेटा रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। टी-3 जहाँ यह 9 वां कॉलम है। अब, दो अभिलेखों के अवलोकन पर, मैं इसे एक्स में देखता हूं। टी-2, एस. एम. एस. एम. टी. या एस. एम. एस. ओ. दिखते हैं लेकिन एक्स में। टी 3 को क्रमशः एस. एम. एस. आई. एन. सी. और एस. एम. एस. आउट के रूप में दर्शाया गया है। कॉल डेटा रिकॉर्ड Exh. टी-3 से पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति [2018] 3 एस. सी. आर. पर हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 नवंबर, 2011 और पूर्व में कॉल डेटा रिकॉर्ड। टी-2 की उत्पत्ति हुई थी

2 मार्च, 2015 को।

अब, यह मेरे ध्यान में लाया गया है कि प्रविष्टि संख्या। 329 और 330 कॉल डेटा रिपोर्ट में नहीं देखे जाते हैं। टी-2। इसी तरह की अन्य संख्याएँ भी हैं जो एक्सएच से गायब हैं। टी-2। मैं कहता हूं कि जहां भी मिस्ड कॉल आए, उन्हें एन. यू. एल. एल. के रूप में दिखाया गया। 2011 में, इस तरह के 'मिस्ड सी ऑल' को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और इसलिए, वे एक्स में कॉल डेटा रिकॉर्ड में नहीं देखे जाते हैं। टी-2। हालाँकि, वह एस. एम. एस. जो एन. यू. एल. एल. के रूप में दिखाया गया था और जो हो सकता था

मूर्त रूप नहीं दिया गया है अभी भी बनाए रखा जाता है क्योंकि कंपनी थी आय अर्जित करें। "

23. इस प्रकार, हम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि सी. डी. आर. में विसंगतियां थीं।

ए. एफ. टी. से पहले वोडाफोन द्वारा निर्मित। वास्तव में, वोडाफोन का गवाह उन सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम था जो द्वारा व्यक्त किए गए थे उत्तरदाता।

24. अभिलेख पर उभरने वाली इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, निर्णय

25. अंत में, जहां तक प्रत्यर्थी की अपील का संबंध है, हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि एक बार अदालत में आरोप साबित हो जाने के बाद अधिकारियों और ए. एफ. टी. द्वारा संचालित मार्शल ने भी अपनी

अनुमोदन की अपनी मुहर लगाकर, वह भी, साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, उसके विस्तृत विश्लेषण के साथ, यह पता लगाने के लिए कि क्या नीचे दिए गए अधिकारियों का निष्कर्ष सही है या नहीं, पूरे साक्ष्य पर फिर से विचार करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तत्काल कार्यवाही धारा 30 के तहत अपील के रूप में की जाती है और 31 अधिनियम और इसलिए, न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में मामले की जांच कर रहा है। हालाँकि, इस तरह की अपील का दायरा सीमित है जैसा कि इन प्रावधानों की भाषा से देखा जा सकता है:

" 30. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। (1) धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय या आदेश (पारित आदेश के अलावा) के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। धारा 19 के तहत):

बशर्ते कि ऐसी अपील नब्बे की अवधि के भीतर की जाती है

उक्त निर्णय या आदेश के दिनः

बशर्ते कि न्यायाधिकरण के अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

(2) अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश या निर्णय के अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगीः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत एक अपील आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी।

इसके खिलाफ अपील की।

(3) उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील को लंबित रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है कि

(क) दंड या अपील किए गए आदेश का निष्पादन।

निलंबित किए जाने के विरुद्ध; या

(ख) यदि अपीलार्थी कारावास में है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएः

बशर्ते कि जहां कोई अपीलकर्ता न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि वह अपील करने का इरादा रखता है, वहां न्यायाधिकरण, यथास्थिति, खंड (ए) या खंड (बी) के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 31. अपील करने के लिए छोड़ दें। - (1) उच्चतम न्यायालय में एक अपील न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ होगी और ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यह न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है, या यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि वह बिंदु वह है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(2) सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए न्यायाधिकरण को एक आवेदन न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख से शुरू होने वाले तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और न्यायाधिकरण को एक आवेदन दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय छुट्टी के लिए तीस दिनों की अवधि के भीतर उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन न्यायाधिकरण द्वारा छुट्टी के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

(3) अपील को तब तक लंबित माना जाएगा जब तक कि अपील करने की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है और यदि अपील करने की अनुमति दी जाती है, जब तक कि अपील का निपटारा नहीं किया जाता है। और अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन को उस समय की समाप्ति पर निपटाया गया माना जाएगा जिसके भीतर यह किया गया हो सकता है, लेकिन यह उस समय के भीतर नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

इस न्यायालय में अपील सामान्य सार्वजनिक महत्व पर कानून के एक बिंदु पर होनी चाहिए।

27. किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने अभिलेखों की जांच की है।

उत्तरदाताओं की ओर से डॉ. शर्मा द्वारा की गई प्रस्तुतियों के लिए। हालाँकि, ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत था जिस पर कोई भी उचित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। हमें ऐसी कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं मिली है।

28. नतीजतन, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

अधिकारी द्वारा।

29. हम अब भारत संघ द्वारा पसंद की गई अपील का विज्ञापन करते हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस अपील का सीमित दायरा ए. एफ. टी. द्वारा दी गई सजा की मात्रा पर होना है। सेवा से बर्खास्तगी की सजा को दरकिनार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने 24 महीने के लिए वरिष्ठता खोने की सजा दी है। इसके अलावा, सेवा में बहाली का निर्देश देते हुए, न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया है कि प्रतिवादी सेवा से बर्खास्त होने की तारीख से बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए भुगतान और भत्ते का हकदार नहीं होगा, यदि यह न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर है।

30. प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल नहीं किया गया है जैसा कि इस अदालत ने किया था,

31 अगस्त, 2015 के आदेशों के माध्यम से उक्त आदेश/निर्देश के संचालन पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार, प्रत्यर्थी अभी भी सेवा से बाहर है और इसलिए, न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से अपना वेतन खो देता है जो 04 मार्च, 2015 को पारित किया गया था। प्रतिवादी को 26 जनवरी, 2013 के आदेशों के माध्यम से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इन सभी कारणों से, हम सजा पर न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रभाव यह है कि न केवल प्रत्यर्थी की वरिष्ठता 24 महीने तक जब्त हो जाती है, बल्कि वह पांच साल से अधिक समय तक अपने वेतन से भी वंचित रहता है।

इस तरह की

हमारे अनुसार, सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी और इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

31. नतीजतन, दोनों अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। द.

इसमें प्रत्यर्थी को इस आदेश के पारित होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर सेवा में बहाल कर दिया जाएगा और वह मध्यवर्ती अवधि यानी बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।